मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति की दिनांक 29.11.2021 को विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयन्ती सभागार में प्रातः 11.30 बजे सम्पन्न हुई 2021/02 (तेईसवीं) बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

1. प्रो0 श्री जे0पी0 पाण्डेय — अध्यक्ष
   कुलपति,
   मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

2. श्री नागेन्द्र शर्मा, विशेष सचिव, — सदस्य
   प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग,
   उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3. श्री हरिशंकर मिश्र, अपर निदेशक कोषागार — सदस्य
   गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
   प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग,
   उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।

4. ई0एस0के0 अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, — राज्य सरकार द्वारा नामित
   मेसर्स एस0 के0 केमिकल्स।
   चैम्बर आफ इन्डस्ट्रीज,
   105, सुनन्दा टावर, बैंक रोड,
   गोरखपुर।

5. प्रो0 राकेश कुमार, — विशेष आमंत्रित सदस्य
   अधिष्ठाता छात्र मामले,
   मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
   गोरखपुर।

6. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव, — विशेष आमंत्रित सदस्य
   अधिष्ठाता अध्ययन, शोध एवं विकास,
   मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
   गोरखपुर।

7. प्रो0 गोविन्द पाण्डेय, — विशेष आमंत्रित सदस्य
   अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन,
   मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

8. प्रो0 डी0के0 द्विवेदी, — विशेष आमंत्रित सदस्य
   अधिष्ठाता संकाय मामले,
   मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
   गोरखपुर।

09.	प्रो0 एस0के0 सोनी, अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन एवं उद्यमिता, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	प्रो0 बृजेश कुमार, कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	सदस्य
11.	श्री अमर सिंह, वित्त नियंत्रक, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	सदस्य / सचिव

वित्त समिति की तेइसवीं बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है।

23–01 वित्त समिति की दिनांक 27.07.2021 को सम्पन्न हुई 2021/01 (बाइसवीं) बैठक की कार्यवृत्ति के पुष्टि का प्रस्ताव।

समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की बाइसवीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यो को प्रेषित किया गया था, जिस पर मा0 सदस्यो द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी। समिति द्वारा बिन्दु संख्या 22–04 में विश्वविद्यालय परिसर में 500 K.W. के सौर उर्जा प्लांट को मितव्ययिता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर निविदा प्रकिया के माध्यम से स्थापित किये जाने के संशोधन के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

22–14 विश्वविद्यालय में टाईप III के 30नग आवासो में से 12 नग आवासों का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में निर्माण कार्य कराये जाने पर समिति द्वारा रु. 330.78 लाख की लागत से 12 नग टाईप III आवासो के प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया था। शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के कम में टाईप III के 30 नग आवासों हेतु रु. 826.95 लाख का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। शासन से धन प्राप्ति के अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने अथवा शासन से प्राप्त अन्य निर्देश के कम में आवासों के निर्माण का कार्य कराये जाने से समिति को अवगत कराया गया।

23–02 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 2021/01(बाइसवीं) बैठक मे लिये गये निर्णयों पर कार्यान्वित विवरण।

समिति वित्त समिति की बाइसवीं बैठक मे लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण का अवलोकन करते हुए पूर्व के स्वीकृति प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गयी।

23–03 विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2020–21 का अनुमोदित बजट के सापेक्ष दिनांक 31.10.2021 तक का वास्तविक व्यय का ब्योरा एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 का पुनरीक्षित बजट के प्रस्ताव के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23 का अनुमानित व्यय एवं आय के बजट का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2020–21 का अनुमोदित बजट के सापेक्ष दिनांक 31.10.2021 तक का वास्तविक व्यय का ब्योरा एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 का पुनरीक्षित बजट के प्रस्ताव के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23 का अनुमानित व्यय एवं आय के बजट के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

साथ ही क्रम संख्या 31 पर अंकित नव सृजित मद ''विश्वविद्यालय के सामाजिक दायित्व'' के अन्तर्गत सम्मिलित तीन बिन्दुओं के अतिरिक्त एक चौथा विन्दु भी सम्मिलित करने का सुझाव समिति के सदस्यों विशेषकर राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य ई0 एस0के0 अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक मेसर्स एस0 के0 केमिकल्स चैम्बर आफ इन्डस्ट्रीज, के द्वारा दिया गया जिसके अर्न्तगत मालवीय शिक्षा निकेतन में दिन में जब वह रिक्त रहता है महिला सिलाई प्रशिक्षण का एक केन्द्र संचालित करया जाय। जिस हेतु पर्याप्त मात्रा में सिलाई मशीने क्रय कर ली जायें एवं एक ट्रेनर की नियुक्ति संविदा के माध्यम से भी कर ली जाय। रेडीमेट गारमेन्ट में गोरखपुर हब के रुप में विकसित किया जा रहा है। अतः राज्य सरकार के उद्योग विभाग एवं उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों का भी इसमें सकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में हो रही सम्भावित बचत रु. 550.00 लाख को आवासीय भवनो के जीर्णोद्वार एवं गेस्ट हाउस के विस्तार में प्रयोग किया जायेगा। इस प्रस्ताव से वित्त समिति की सहमति प्राप्त हो गयी। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि आगामी वित्त समिति की बैठक में इन कार्यो हेतु व्यय का विस्तृत व्योरा प्रस्तुत किया जायेगा।

23–04 केमिकल इन्जीनियरिंग विभाग के प्रयोगशालाओं के लैब में 10 KVA UPS, कंसंट्रेटर एवं अन्य उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा केमिकल इन्जीनियरिंग विभाग के प्रयोगशालाओं के लैब में 10 KVA UPS, कंसंट्रेटर एवं अन्य उपकरण क्रय के प्रस्ताव पर रु. 11.50 के व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

23–05 कोविड–19 से प्रभावित शैक्षणिक सत्र 2020–21 में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शुल्क एवं छात्रावास शुल्क कम किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा छात्रों एवं अभिभावको के प्रत्यावेदनो पर अधिष्ठाता, स्नातक, अध्ययन एवं उद्यमिता/परास्नातक अध्यन एवं शोध व विकास द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से प्राप्त निर्देश के क्रम में कोविड–19 से प्रभावित शैक्षणिक सत्र 2020–21 में विश्वविद्यालय शुल्क में पूर्व में प्रदत्त छूट के उपरान्त छात्रों के आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त माननीय कुलपति महोदय द्वारा Hostel Charges के सम्बन्ध में निम्न अनुसार शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. शैक्षणिक सत्र 2020–21 में छात्रों को अस्थाई तौर पर कुछ दिनों के लिए छात्रावास सुविधा अनुमन्य किय गया था, केवल उन छात्रों से हास्टल रख–रखाव आदि के दृष्टिगत निर्धारित कुल

Keeping) रु0 17400.00 का 20 प्रतिशत धनराशि अर्थात रु. 3480.00 मात्र लिया जायेगा।
2. शैक्षणिक सत्र 2020–21 में किसी भी प्रकार से छात्रावास आवासित नहीं रहे छात्रों से कोई हास्टल शुल्क नही लिय जायेगा, उन छात्रों से डेस्कालर हेतु निर्धारति शुल्क ही लिया जायेगा।

पर विचार करते हुये कुलपति महोदय द्वारा प्रस्ताव को वित्त समिति के अनुमोदन की प्रत्यशा में अनुमोदन का वित्त सतिति द्वारा कार्येत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

23–06 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय में आई0क्यू0ए0सी0 गठन किये जाने का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय में आई0क्यू0ए0सी0 गठन किये जाने के निर्देश के कम मे मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठन की स्वीकृत प्रदान करने उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त मे बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापनोपरान्त समाप्त हुई।

29.11.21
(अमर सिंह)
वित्त नियंत्रक
सदस्य / सचिव

भवदीय,

(प्रो0 जे0पी0 पाण्डेय)
कुलपति / अध्यक्ष